यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारी:–जे पी बैरवा, आर.ए.एस.
दमा संख्या:–75/2018 प्रार्थना पत्र
नारायण पिता देवा खारोल, उम्र वयस्क निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थीगण

बनाम

श्री नारायणसिंह पिता श्री कालूसिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी ओझाघर तहसील व जिला वाड़ा (राजस्थान)
श्रीमति भंवर बाई बेवा कालूसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी ओझाघर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
नारायण पिता परथु गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी ओझाघर, तह. व जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांक:–_13.6.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0 नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओझाघर पटवार हल्का रामपुरिया ील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 422/1 रकबा 01 बीघा बिस्वा कुल किता 1 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भुमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27/3/2018 को पंजीबद्व किया र प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिकार लेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार रित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर ना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार जाकर ग्राम ग्राम ओझाघर पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते त खातों की आराजी नम्बर 422/1 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 01 बीघा 13 भुमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक [illegible] को 100/–रूपये (अक्षरे:–सौ त्र)कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो गढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा (जिला) भीलवाड़ा

पि:–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (जिला) भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner